वित्त निर्देश 56/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन – नया रायपुर

क्रमांक 369/एल 2013-71-00019/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 2सितम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-संविलियन पेंशनरों को छठवां वेतन आयोग का लाभ देने बाबत् ।
संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 144/97/वि/नि/चार/07, दिनांक 5.6.07
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 262/236/नि/चार/2009, दिनांक 31.08.09

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 5.6.2007 के अन्तर्गत राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होंने संविलियन की तिथि पर अपनी संपूर्ण पेंशन के 1/3 हिस्से के कम्यूटेड मूल्य के साथ 2/3 पेंशन को समर्पित करते हुए एक मुश्त राशि (अर्थात् 100% कम्यूटेड मूल्य) प्राप्त कर लिया है, को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, दिनांक 18.2.2000 से 26.5.2013 तक के मामलों में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो तथा दिनांक 27.5.2013 या इसके बाद के मामलों में सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, आगामी मास के प्रथम दिन से पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन की पात्रता होती है ।

2/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 262/236/नि/चार/2009 दिनांक 31.8.2009 द्वारा 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन स्वीकृत करने संबंधी पुनरीक्षित आदेश जारी किये गये है, उक्त आदेश की

कंडिका 5 (ii) के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत्-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर लिया गया है तथा उसे वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 144/97/वि/नि/चार/2007, दिनांक 5.6.2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें पेंशन पुनरीक्षण की पात्रता नहीं होती है ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों में संविलियनित ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें संदर्भित ज्ञापन दिनांक 05.06.2007 की कंडिका 3 के तहत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन की पात्रता है उनके पेंशन का दिनांक 1 सितंबर 2008 से निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जावे :-

(क) ऐसे पेंशनरों को उनके स्थाई संविलियन पर देय शत-प्रतिशत पेंशन, जो दिनांक 31.12.2005 को देय थी या देय होती, यदि वह इसके पूर्व पेंशन का समर्पण नहीं किया होता तो उसके पेंशन की गणना हेतु दिनांक 31.12.2005 की स्थिति में प्राप्त उक्त मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व का) को 2.26 से गुणांक से गुणा किया जायेगा तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रूपये से पूर्णांकित कर इसका 1/3 पुनरीक्षित पेंशन माना जायेगा । उक्त गणना हेतु न्यूनतम पेंशन का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा । अर्थात् गणना करने पर कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा यदि न्यूनतम पेंशन से कम आता है तो कम राशि की ही पात्रता होगी ।

(ख) उपरोक्तानुसार गणना की गई राशि के आधार पर वृद्ध पेंशनरों को निम्न तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी :-

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	**अतिरिक्त पेंशन की राशि**
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	1/3 प्रत्यावर्तित पुनरीक्षित पेंशन का 20%
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	1/3 प्रत्यावर्तित पुनरीक्षित पेंशन का 30%
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	1/3 प्रत्यावर्तित पुनरीक्षित पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	1/3 प्रत्यावर्तित पुनरीक्षित पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	1/3 प्रत्यावर्तित पुनरीक्षित पेंशन का 100%

(ग) पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.09.2008 से लागू होंगी ।

4/ 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनरों के कम्यूटेड हिस्से का प्रत्यावर्तन 1 सितम्बर, 2008 या प्रत्यावर्तन की वास्तविक तिथि, जो बाद में हो, से देय होगी ।

5/ मंहगाई राहत पुनरीक्षित पूरी पेंशन पर देय होगी अर्थात् वह पुनरीक्षित पेंशन जो संविलियनित कर्मचारियों को 1/3 कम्यूटेड हिस्से के प्रत्यावर्तन के दिनांक को प्राप्त हुई होती, यदि उसने संविलियन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 370/एल 2013-71-00019/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग